



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक G-557

/स्थानान्तरण-4781/2018-19


दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में अंकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री मोहन सिंह रावत	बा.वि.परि.द्वाराहाट, अल्मोड़ा	दुर्गम	डी.पी.ओ. कार्या. ऊधमसिंह नगर	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में मु० प्रशा०अधि० के रिक्त पद सापेक्ष समायोजन
02	श्री शोबत सिंह राणा	निदेशालय, आई.सी. डी.एस.उत्तराखण्ड	सुगम	बा.वि.परि. डोईवाला, देहरादून	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
03	श्री उमा दत्त जोशी	बा.वि.परि. विकासनगर, देहरादून	सुगम	निदेशालय, आई.सी. डी.एस. उत्तराखण्ड देहरादून	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
04	श्री राजेन्द्र सिंह धर्मवाण	बा.वि.परि. अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	बा.वि.परि. भगवानपुर, हरिद्वार	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समोजित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पृष्ठांकन संख्या C-557..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक

जिला सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निम्नलिखित विषय ज्ञात है कि तमन्वित कार्मिकों को प्रेषित/प्रेषित की प्रतिलिपि जिला अदालत प्रेषित के एक प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्यपत्र कार्य हेतु कार्यपत्र को सूचना अधीनस्थानों को ज्ञात उपलब्ध कर दी जाए। जिला अदालत कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अर्थात् कार्यपत्र पर कार्यपत्र पर कार्यपत्र को ज्ञात कर लेने के उपरांत ही कार्य करने। निम्नलिखित समय के अन्तर्गत आवश्यक न किन्हीं जाना अनुसारावकीनता जारी जाएगी। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीनता रखन वा कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम को धारा 24 के अन्तर्गत कार्यपत्रों को जारी की जायेगी। इससे पूर्व किन्हीं परे समस्त कार्यपत्रों को समान्य समान्य कार्यपत्रों को जारी की जायेगी।

(स्थापना/निर्देशक)

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-668

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 08 जून, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित सुगम कार्यालयों में कार्यरत सुपरवाइर्स को तालिका के कॉलम 04 में उल्लिखित दुर्गम कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्रीमती किरनबाला पाठक	जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	स्योदे अल्मोड़ा	धारा 07 के अनुसार
02	श्रीमती बिन्दु मौर्या	बहादुराबाद- I, हरिद्वार	कालसी, देहरादून	स्थानान्तरण
03	श्रीमती प्रभा आर्या	रूद्रपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	कपकोट, बागेश्वर	जून 2021 में सुगम में रिक्ती के सापेक्ष
04	श्रीमती नीमा शाह	रूद्रपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	ताकुला, अल्मोड़ा	स्थानान्तरित किया जायेगा
05	श्रीमती पूनम रौतेला	रामनगर, नैनीताल	कोटाबाग, नैनीताल	
06	श्रीमती विमल बाराकोटी	भीमताल, नैनीताल	सल्ट, अल्मोड़ा	
07	श्रीमती मीना गर्खाल	खटीमा, ऊधमसिंह नगर	लमगड़ा, अल्मोड़ा	
08	श्रीमती रोशनी भारती	नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल	
09	श्रीमती बीना असवाल	डोईवाला, देहरादून	बीरोखाल, पौड़ी गढ़वाल	
10	श्रीमती आशा जोशी	रूद्रपुर शहर, ऊधमसिंह नगर	सल्ट, अल्मोड़ा	
11	श्रीमती गीता वर्मा	मंगलौर, हरिद्वार	गैरसैण, चमोली	
12	श्रीमती सीमा आर्या	विकासनगर, देहरादून	अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	
13	श्रीमती शीला रौतेला	हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल	कोटाबाग, नैनीताल	
14	श्रीमती अनीता गुप्ता	जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	ओखलकाण्डा, नैनीताल	
15	श्रीमती सविता काला	देहरादून शहर, देहरादून	अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	
16	श्रीमती किरनलता जोशी	विण, पिथौरागढ़	मुनस्यारी, पिथौरागढ़	
17	श्रीमती अंजू डबराल गौड़	सहसपुर, देहरादून	चकराता, देहरादून	
18	श्रीमती हेमन्ती रावत	दुगड़ा, पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल	
19	श्रीमती शशी बिष्ट	डुण्डा, उत्तरकाशी	भटवाड़ी, उत्तरकाशी	
20	श्रीमती आशा रावत	पौड़ी परियोजना	पाबौ, पौड़ी गढ़वाल	
21	श्रीमती राजकुमारी	गरदपुर, ऊधमसिंहनगर	ताकुला, अल्मोड़ा	
22	श्रीमती रीता छवाण	हल्द्वानी शहर, नैनीताल	ओखलकाण्डा, नैनीताल	

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैंक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(स्ववीर सिंह चौहान)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या ..C-6667..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

/स्थानान्तरण-4781/2018-19



पत्रांक C-667

दिनांक 08 जून, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित दुर्गम कार्यालयों में कार्यरत सुपरवाइर्स को तालिका के कॉलम 04 में उल्लिखित सुगम कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	श्रीमती गायत्री रावत	कालसी, देहरादून	विकासनगर, देहरादून	अधिनियम की धारा 10 के अनुसार स्थानान्तरण
02	श्रीमती सुमन बहुगुणा	पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल	कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	
03	श्रीमती रोशनी सेमवाल	जखोली, रुद्रप्रयाग	पौड़ी परियोजना, पौड़ी गढ़वाल	
04	श्रीमती यदु सेमवाल	जखोली, रुद्रप्रयाग	खीर्सू, पौड़ी गढ़वाल	
05	श्रीमती डिम्पल वर्मा	ताकुला, अल्मोड़ा	बाजपुर, ऊधमसिंहनगर	
06	श्रीमती जानकी उपाध्याय	ओखलकाण्डा, नैनीताल	हल्द्वानी शहर, नैनीताल	
07	सुश्री पुष्पा हयांकी	मुनस्यारी, पिथौरागढ़	विण, पिथौरागढ़	
08	श्रीमती देवेश्वरी कुँवर	ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	देहरादून शहर, देहरादून	
09	सुश्री गीता आर्या	बेतालघाट, नैनीताल	रुद्रपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	
10	श्रीमती सुनीता वर्मा	बेरीनाग, पिथौरागढ़	बागेश्वर परियोजना	
11	श्रीमती लक्ष्मी देवी	कल्जीखाल, पौड़ी गढ़वाल	दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	
12	श्रीमती विमला देवी	चकराता, देहरादून	देहरादून शहर, देहरादून	
13	श्रीमती सुलोचना शाह	भटवाड़ी, उत्तरकाशी	डुण्डा, उत्तरकाशी	
14	श्रीमती पवित्रा देवी	थल्यूड़, टिहरी गढ़वाल	डोईवाला, देहरादून	
15	श्रीमती दुर्गा परिहार	ताकुला, अल्मोड़ा	हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल	
16	श्रीमती नीलम रमोला	भिलंगना, टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	
17	श्रीमती दया बेलवाल	चौखुटिया, अल्मोड़ा	भीमताल, नैनीताल	
18	श्रीमती पार्वती कोरंगा	कोटाबाग, नैनीताल	सितारगंज, ऊधमसिंहनगर	
19	श्रीमती खष्टी आर्या	कपकोट, बागेश्वर	रुद्रपुर शहर, ऊधमसिंहनगर	
20	श्रीमती रेवती खेतवाल	कपकोट, बागेश्वर	गरुड़, बागेश्वर	
21	श्रीमती उमा रानी	खानपुर, हरिद्वार	रुड़की प्रथम, हरिद्वार	

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)


सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



उत्तराखण्ड


का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रमवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-667 दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 08 जून, 2018




पत्रांक C-666

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 03 में उल्लिखित सुपरवाइर्स को अनुरोध के आधार पर तालिका के कॉलम 04 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्रीमती संगीता गोयल	यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	हरिद्वार शहर, हरिद्वार	अधिनियम की धारा 10 के अुनसार स्थानान्तरण
02	श्रीमती उमा भट्ट	ओखलकाण्डा, नैनीताल	रूद्रपुर शहर, ऊधमसिंहनगर	
03	श्रीमती शैला सेमवाल	कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	
04	श्रीमती ममता कुमारी	थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	
05	श्रीमती छुम्मा देवी	गैरसैण, चमोली	जखौली, रूद्रप्रयाग	
06	श्रीमती प्रभारानी	दशौली, चमोली	खानपुर, हरिद्वार	
07	सुश्री गीता शर्मा	कालसी, देहरादून	सहसपुर, देहरादून	


अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-666..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-554

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री देव सिंह	बा.वि.परि. दशोली, चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि. रूड़की प्रथम, हरिद्वार	सुगम	जनहित में
02	श्रीमती मीना साह	बा.वि.परि. भटवाड़ी, उत्तरकाशी	दुर्गम	बा.वि.परि. पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल	सुगम	जनहित में
03	सुश्री जुलेखा	बा.वि.परि.रूड़की द्वितीय, हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	सुगम	अधिनियम की धारा 07 (घ) (एक) के आधार पर
04	श्रीमती सुलेखा	बा.वि.परि. थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि.लक्सर, हरिद्वार	सुगम	जनहित में

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित परियोजना अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(स्प.सी. सिंह चौहान)
निदेशक




निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com




पृष्ठांकन संख्या दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस.
उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित अधिकारी।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक


(निदेशक)



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-555

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती लक्ष्मी टम्टा	बा.वि.परि. जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. पाटी, दुर्गम चम्पावत	दुर्गम	प्रशासनिक अधार पर, जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण की पात्र होंगी।

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित परियोजना अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-555..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस.।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित अधिकारी।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



उत्तराखण्ड

पत्रांक C-556

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की गयी पदोन्नति आदेश संख्या-सी-2111 दिनांक 01 नवम्बर 2017 में उल्लिखित आदेश तथा लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्टाफिंग पैटर्न में स्वीकृत पदों के अनुसार निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में अंकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समायोजित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती बीना काला	बा.वि.परि. रूद्रपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	सुगम	बा.वि.परि. खटीमा, ऊधमसिंह नगर	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में समायोजन
02	श्रीमती विमला जोशी	बा.वि.परि. विण, पिथौरागढ़	सुगम	बा.वि.परि. गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	दुर्गम	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के सापेक्ष समायोजन विकल्प के आधार पर। जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरणके पात्र होंगी।
03	श्री सुन्दरनाथ गोस्वामी	डी.पी.ओ. कार्या. ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. कार्यालय चम्पावत	सुगम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
04	श्रीमती हंसी पाण्डेय	बा.वि.परि. बागेश्वर	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय नैनीताल	सुगम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
05	श्री विक्रम लाल	बा.वि.परि. थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल	सुगम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
06	श्री हेम चन्द्र सती	बा.वि.परि. बाजपुर, ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. रामनगर, नैनीताल	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
07	श्री रमेश चन्द्र रतूड़ी	डी.पी.ओ. कार्या. टिहरी गढ़वाल	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय हरिद्वार	सुगम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
08	श्री शूरवीर सिंह	बा.वि.परि. नारसन हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे
09	श्री योगेश कुमार वर्मा	बा.वि.परि. चकराता, देहरादून	दुर्गम	डी.पी.ओ. कार्यालय देहरादून।	सुगम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन

(Handwritten signature)



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)


सुब्बौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



10	श्री जालम सिंह रावत	बा.वि.परि. सहसपुर, देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. लक्सर, हरिद्वार	सुगम	वरि.कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07 (घ)(1)के क्रम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
11	श्रीमती पंवार	सुरमा उत्तरकाशी	बा.वि.परि. डुण्डा, सुगम	बा.वि.परि. भिलंगना, टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन। जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण की पात्र होंगी।


अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समोजित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या ...C-556..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुन्धीवाला, निकट नन्दा क्री चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-558

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्टाफिंग पैटर्न में स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान तैनाती कार्यालयों में पद स्वीकृत न होने पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में अंकित प्रशासनिक अधिकारियों को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में **समायोजित** किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री पुष्कर सिंह कण्डारी	डी.पी.ओ. कार्या. हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. डुण्डा, उत्तरकाशी	सुगम	जनहित में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
02	श्री पूरणराम	बा.वि.परि. गैरसैण, चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि. बागेश्वर	सुगम	वरिष्ठ कार्मिक जनहित में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
03	श्री भुवनचन्द्र जोशी	बा.वि.परि. कार्यालय हल्द्वानी ग्रा., नैनीताल	सुगम	बा.वि.परि. कार्यालय भीमताल, नैनीताल	सुगम	गृह विकास खण्ड में कार्यरत धारा 17(2)(ख) के क्रम में जनहित में समायोजन
04	श्रीमती नीरा रावत	बा.वि.परि. कार्यालय भीमताल, नैनीताल	सुगम	बा.वि.परि. बाजपुर, ऊधमसिंहनगर	सुगम	वरिष्ठ कार्मिक होने पर अधिनियम की धारा 07(घ) (1) तथा गृह विकास खण्ड में कार्यरत धारा 17 (2) (ख) के क्रम में समायोजन
05	श्री विक्रम सिंह मेवाड़	बा.वि.परि. देहरादून शहर	सुगम	बा.वि.परि. थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में दुर्गम में समायोजन जून, 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
06	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	डी.पी.ओ. कार्यालय देहरादून	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय टिहरी गढ़वाल	सुगम	जनहित में सुगम में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
07	श्री बी.पी. थपलियाल	बा.वि.परि. डोईवाला, देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. देहरादून शहर, देहरादून	सुगम	जनहित में सुगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन
08	श्री विजय सिंह राणा	बा.वि.परि. रूड़की प्रथम हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. चकराता, देहरादून	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
09	श्री मनोज रावत	बा.वि.परि. प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	डी.पी.ओ. थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	विकल्प के आधार पर जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



10	श्री अतोल सिंह राणा	डी.पी.ओ. कार्यालय गढ़वाल पौड़ी	दुर्गम	डी.पी.ओ. कार्यालय गढ़वाल पौड़ी	दुर्गम	जनहित में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
11	श्री दाताराम पन्त	बा.वि.परि.भिलंगना टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	जनहित में वरि.प्रशा.अधि. पद के सापेक्ष समायोजन

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-558..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-559 /स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में अंकित प्रशासनिक अधिकारियों को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री सतीश कुमार	बा.वि.परि.थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. विकासनगर, देहरादून	सुगम	वरिष्ठ कार्मिक, जनहित में वरि०प्रशा०अधि०पद के सापेक्ष

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-559..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)



सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com
/स्थानान्तरण-4781/2018-19

पत्रांक C-560

दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित प्रधान सहायकों को, लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान तैनाती कार्यालयों में पद सृजित न होने पर तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समायोजित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री बी.एस. धपोला	बा.वि.परि. द्वाराहाट, अल्मोड़ा	दुर्गम	बा.वि.परि. लोहाघाट, चम्पावत	सुगम	जनहित में समायोजन
02	श्रीमती माया वर्मा	बा.वि.परि. काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	सुगम	बा.वि.परि. चम्पावत, चम्पावत	सुगम	जनहित में समायोजन
03	श्री अशोक कुमार तोमर	निदेशालय, आई.सी. डी.एस., उत्तराखण्ड,	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय देहरादून	सुगम	जनहित में समायोजन
04	श्री मुहम्मद गौस	बा.वि.परि. रुड़की शहर, हरिद्वार	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय उत्तरकाशी	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
05	श्री सोहन सिंह रावत	डी.पी.ओ. कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
06	श्री धीरेन्द्र पाठक	डी.पी.ओ. कार्यालय पिथौरागढ़	दुर्गम	बा.वि.परि. गंगोलीहाट पिथौरागढ़	सुगम	जनहित में समायोजन
07	श्रीमती पूर्णी रावत	डी.पी.ओ. कार्यालय चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि. थराली, चमोली	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
08	श्रीमती चम्पा जोशी	बा.वि.परि. ताकुला अल्मोड़ा	दुर्गम	बा.वि.परि. बागेश्वर, बागेश्वर	सुगम	जनहित में समायोजन
09	श्री राजेन्द्र सिंह	बा.वि.परि. जाखणीधार टिहरी	दुर्गम	बा.वि.परि. रुड़की प्रथम, हरिद्वार	सुगम	जनहित में समायोजन
10	श्री राजेन्द्र सिंह नकोटी	बा.वि.परि. भिलंगना, टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. चम्बा, टिहरी गढ़वाल	सुगम	जनहित में स्थानान्तरण
11	श्री शिव प्रसाद भट्ट	निदेशालय, आई.सी. डी.एस., देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. चकराता, देहरादून	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
12	श्री मोहनलाल सेमल्ली	निदेशालय, आई.सी. डी.एस., देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. गैरसैण, चमोली	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुख्ठीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।



दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

13	श्री जयेन्द्र सिंह	बा.वि.परि. पुरोला, उत्तरकाशी	दुर्गम	बा.वि.परि. रूड़की प्रथम, हरिद्वार	सुगम	जनहित में समायोजन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के सापेक्ष
14	श्री दीपक प्रसाद चमोली	डी.पी.ओ. कार्यालय चमोली	दुर्गम	निदेशालय, आई.सी. डी.एस., देहरादून	सुगम	जनहित में समायोजन
15	श्री राजेन्द्र सिंह	बा.वि.परि. जोशीमठ चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि. गैरसैण, चमोली	दुर्गम	सांख्यकीय सहायक पद के सापेक्ष जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
16	श्री बलबीर सिंह कण्डारी	बा.वि.परि. ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	डी.पी.ओ. कार्यालय रूद्रप्रयाग	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
17	श्रीमती माया भट्ट	डी.पी.ओ. कार्यालय अल्मोड़ा	सुगम	बा.वि.परि. खटीमा, ऊधमसिंहनगर	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
18	श्री के०बी० लोहनी	बा.वि.परि. भीमताल, नैनीताल	सुगम	बा.वि.परि. सल्ट, अल्मोड़ा	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
19	श्री हेलम सिंह रावत	डी.पी.ओ. कार्यालय उत्तरकाशी	दुर्गम	बा.वि.परि. नारसन हरिद्वार	सुगम	जनहित में मु.प्रशा.अधि. के सापेक्ष समायोजन
20	श्री मोहन सिंह रावत	डी.पी.ओ. कार्यालय उत्तरकाशी	दुर्गम	बा.वि.परि. रूड़की शहर, हरिद्वार	सुगम	जनहित में समायोजन
21	श्री रामस्वरूप नौटियाल	बा.वि.परि. नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम	बा.वि.परि. प्रतापनगर, गढ़वाल टिहरी	दुर्गम	जनहित में सांख्यकीय सहायक पद के सापेक्ष समायोजन, जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
22	श्री कृपाल सिंह राणा	बा.वि.परि. रूद्रपुर शहर, ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. धारचूला, पिथौरागढ़	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
23	श्री लक्ष्मी प्रसाद अमोला	बा.वि.परि. हिण्डोलाखाल, टिहरी	दुर्गम	बा.वि.परि. कर्णप्रयाग, चमोली	सुगम	जनहित में समायोजन
24	श्री शैलेन्द्र सिंह भण्डारी	बा.वि.परि. कालसी, देहरादून	दुर्गम	बा.वि.परि. सहसपुर, देहरादून	सुगम	जनहित में समायोजन

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुख्ठीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैंक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनात स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

Ranvir

(रणवीर सिंह चौहान)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-5.60..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

Ranvir

निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-561

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित प्रधान सहायकों को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री उपेन्द्र दत्त जुयाल	बा.वि.परि., चम्बा, टिहरी गढ़वाल	सुगम	बा.वि.परि., हरिद्वार शहर, हरिद्वार	सुगम	जनहित में स्थानान्तरण
02	श्रीमती आशा सगटा	बा.वि.परि. चम्पावत	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय चम्पावत	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
03	श्री अनिल कुमार खत्री	निदेशालय, आई.सी.डी.एस., देहरादून	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय चमोली	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-561..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-629

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 05 जून 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित प्रधान सहायक को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री रामचरण जोशी	डी.पी.ओ. कार्यालय चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि., दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल	सुगम	हृदय की हुई एनजीओग्राफी को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध के आधार पर

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या ...C-629... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com
पत्रांक C-562 /स्थानान्तरण-4781/2018-19



दिनांक 29 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित वरिष्ठ सहायकों का लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान तैनाती कार्यालय में पद सृजित न होने के कारण समायोजन तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री राजीव सेमवाल	बा.वि.परि. दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल	सुगम	बा.वि.परि. नैनीडाण्डा, पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में समायोजन
02	श्री जगमोहन सिंह पंवार	डी.पी.ओ. कार्यालय रुद्रप्रयाग	दुर्गम	बा.वि.परि. थलीसैण पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में समायोजन
03	कुमारी सुमित्रा	बा.वि.परि. सहसपुर देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. डोईवाला देहरादून	सुगम	अधिनियम की धारा 07(घ)(तीन) के क्रम में सुगम में समायोजन
04	सुश्री पूनम रावत	बा.वि.परि. रुड़की प्रथम, हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. भगवानपुर, हरिद्वार	सुगम	अधिनियम की धारा 07(घ)(तीन) के क्रम में सुगम में समायोजन
05	श्री देशवाल	बा.वि.परि. हिमांशु देहरादून	सुगम	निदेशालय, देहरादून	सुगम	जनहित में समायोजन
06	श्रीमती जमलोकी	बा.वि.परि. नीलम चमोली	दुर्गम	बा.वि.परि. ऊखीमठ रुद्रप्रयाग	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगी।
07	श्रीमती संतोष नेगी	बा.वि.परि., हरिद्वार शहर	सुगम	बा.वि.परि. हिण्डोलाखाल, टिहरी	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगी।
08	श्री अरूणराम	निदेशालय, देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. भिलंगना टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगी।
09	श्री लोहुमी	हर्षवर्धन डी०पी०ओ० अल्मोड़ा	सुगम	बा.वि.परि. सल्ट, अल्मोड़ा	दुर्गम	जनहित में समायोजन जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगी।

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड


(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुन्धीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com




तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-5.62..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-563

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 29 मई, 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित **वरिष्ठ सहायकों** का **स्थानान्तरण** तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री कुलबीर सिंह	बा.वि.परि. पौड़ी गढ़वाल	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण
02	श्री रेवती नन्दन	डी.पी.ओ. कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	बा.वि.परि. पौड़ी गढ़वाल	सुगम	जनहित में स्थानान्तरण
03	श्री नरेन्द्र सिंह कटैत	बा.वि.परि. डोईवाला देहरादून	सुगम	बा.वि.परि. कालसी, देहरादून	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण
04	श्री जसराम जोशी	बा.वि.परि. लक्सर हरिद्वार	सुगम	बा.वि.परि. जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	जनहित में स्थानान्तरण

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)

निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-576

/स्थानान्तरण-4781/2018-19


दिनांक 20 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित कनिष्ठ सहायकों का लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान तैनाती कार्यालय में पद सृजित न होने के कारण तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समायोजन किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री संजय जोशी	बा.वि.परि. लोहाघाट, चम्पावत	दुर्गम	डी.पी.ओ. कार्यालय अल्मोड़ा	सुगम	जनहित में समायोजन
02	श्री गिरीश चन्द्र जुकारिया	बा.वि.परि. खटीमा, ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	दुर्गम	जनहित में समायोजन
03	श्रीमती जया जोशी	बा.वि.परि. बाजपुर, ऊधमसिंह नगर	सुगम	बा.वि.परि. ताड़िखेत अल्मोड़ा	सुगम	जनहित में समायोजन


अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिकक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-576..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-577

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 30 मई, 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती पूजा सेमवाल	डी.पी.ओ. कार्यालय टिहरी गढ़वाल	सुगम	निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड देहरादून।	सुगम	निजी अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण <u>हियोग</u>

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-577..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

Lawia
निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



उत्तराखण्ड

पत्रांक C-578

/स्थानान्तरण-4781/2018-19


दिनांक 20 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित कनिष्ठ सहायकों का लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान तैनाती कार्यालय में पद सृजित न होने के कारण तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में समायोजन किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	05	07
01	कुमारी दमयन्ती आर्या	बा.वि.परि. जसपुर ग्रामीण	डी.पी.ओ. कार्यालय अल्मोड़ा	प्रशासनिक आधार
02	श्री अर्जुन सिंह	बा.वि.परि. चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	बा.वि.परि. जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	प्रशासनिक आधार


अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-578..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुन्धीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-628

/स्थानान्तरण-4781/2018-19


दिनांक 05 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित प्रधान सहायक को तालिका के कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री प्रकाश चन्द्र बहुगुणा	बा.वि.परि., चकराता, देहरादून	दुर्गम	निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून।	सुगम	जनहित में


अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थान की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्याC-628.... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक C-579

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 30 मई, 2018

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित अनुसेवकों का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री भैरव दत्त जोशी	बा.वि.परि. ताकुला, अल्मोड़ा	दुर्गम	बा.वि.परि. हवालबाग, अल्मोड़ा	सुगम	जनहित में
02	श्रीमती पदमा नेगी	बा.वि.परि. रामनगर, नैनीताल	सुगम	बा.वि.परि. हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल	सुगम	जनहित में
03	श्री नरेश कुमार आर्य	बा.वि.परि. कोटाबाग, नैनीताल	दुर्गम	बा.वि.परि. हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल	सुगम	जनहित में
04	श्री शैलेन्द्र सिंह	बा.वि.परि. बीरोखाल, पौड़ी	दुर्गम	बा.वि.परि. काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	सुगम	जनहित में
05	श्री महाराज सिंह	बा.वि.परि. कल्जीखाल, पौड़ी	दुर्गम	बा.वि.परि. पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल	सुगम	जनहित में
06	श्री पानसिंह जन्तवाल	काशीपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	सुगम	बा.वि.परि. ओखलकाण्डा, नैनीताल	दुर्गम	जनहित में जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।
07	श्री राजेन्द्र कुमार	जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंहनगर	सुगम	बा.वि.परि. कोटाबाग, नैनीताल	दुर्गम	जनहित में जून 2021 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड


(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com




पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समाप्त समझे जायेंगे।


(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या .C-579..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।


निदेशक

में
में
में
में

को
रादेश
को
पभोग
न्तर्गत
प्रकार
स्थान



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-580

/स्थानान्तरण-4781/2018-19

दिनांक 30 मई, 2018



आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित व्यवस्था के क्रम में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित वाहन चालकों का स्थानान्तरण कॉलम 05 में उल्लिखित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	कार्यालय का स्वरूप	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री विक्रम सिंह पुण्डरीर	डी.पी.ओ. कार्यालय टिहरी गढ़वाल	सुगम	डी.पी.ओ. कार्यालय हरिद्वार	सुगम	जनहित में

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्तर्गत अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-580..... दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक



निदेशालय

आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

सुखीवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0135-2775813, 14 ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पृष्ठांकन संख्या ..C-563..... दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 03 सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 04 सम्बन्धित पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।
- 05 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 06 सम्बन्धित कार्मिक।
- 07 स्थापना/गार्ड फाईल।

निदेशक

अतः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतिभा किए बिना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्ति को दुरुपयोग/शोषण/समाप्ति को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अर्थात् को उपरोक्त नवतनाली कार्यालय में योगदान करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। निर्धारित समय के अन्दर कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता समझी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार की अवकाश प्राप्ति पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों को द्वारा संबन्धित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अन्वयानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व किये गये समस्त सम्बन्धीकरण समस्त समझे जायेंगे।

(संयोजक निदेशालय)

निदेशक